## न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 189/2020 दायर दिनाँक 06.08.2020

**वादी**

1. भगवताराम दत्तक पुत्र चुनाराम उम्र 70 वर्ष जाति मीणा निवासी बरड़वा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

**प्रतिवादी**

1. हड़मान पुत्र लालूराम
2. सुनम पत्नी किशोर कुमार
3. लच्छा दत्तक पुत्र सुरजा
4. पन्नाराम पुत्र गणेश
5. रिछपाल दत्तक पुत्र धन्ना
6. बजरंगलाल पुत्र गोपी
7. रामनिवास पुत्र गोपी
8. चन्दा देवी बेवा मामराज
9. मुकेश कुमार पुत्र मामराज
10. कमलेश कुमार पुत्र मामराज
11. सरीता पुत्री मामराज
12. मंगेजाराम पुत्र सांवताराम
13. बन्नाराम पुत्र सांवताराम
14. प्रभाती देवी पुत्री सांवताराम
15. आंचू देवी पत्नी सुल्तान
16. सुमन देवी पुत्री सुल्तान
17. कालूदेवी पुत्री सुल्तान
18. मनोज कुमार पुत्र सुल्तान
19. राकेश कुमार पुत्र सुल्तान
20. अनिल पुत्र सुल्तान
21. अजय पुत्र सुल्तान
22. गुलाब सिंह पुत्र ईश्वरसिंह
23. हुक्मसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
24. कुमेर सिंह पुत्र ईश्वरसिंह
25. शान्ति बेवा नेना
26. हरिलाल पुत्र भगवताराम
27. सरिता पत्नी भागीरथ
28. इन्द्र देवी पत्नी जगदीश समस्त जातिगण मीणा निवासी बरड़वा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
29. तहसीलदार डीडवाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.**

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी।
2. श्री रामेश्वर भाकर वकील प्रतिवादी।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवी सं0 1 हड़मान दोनो सगे भाई है, मगर वादी को उसके काका चुनाराम ने अपने जीवनकाल में गोद ले लिया। वादित खसरा सं0 पुराना 274 रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 274/1 रकबा 03 बिस्वा के अलावा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के अन्य खेताय अलग–अलग खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खेताय की खातेदारी में भगवताराम पुत्र चुनाराम के नाम से दर्ज है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी हड़मान के पिता का नाम लालूराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि वाकै शरहद बरड़वा वादग्रस्त पुराना खसरा सं0 274 रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 274/1 रकबा 03 बिस्वा के वर्तमान खसरा सं0 416 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 417 रकबा 0.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 418 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 419 रकबा 0.0200 हैक्टे0 गै0मु0 बेरा व खसरा सं0 420 रकबा 6.2200 हैक्टे0 कुल रकबा 6.3600 हैक्टे0 वादी की पैत्रिक सम्पति की भूमि होकर जन्म से हक व अधिकार है।

यह है कि वादग्रस्त खसरा सं0 में स्व0 कुशालाराम के चार पुत्र रामू, पदमा, मोती व हीरा के 1/4, 1/4 हिस्से से कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 हड़मानराम के परदादा मोती के भूरा व जगू दो पुत्र हुए। जगू, रामूराम के गोद चला गया, भूरा के तीन पुत्र लालू, चूना व परसा हुए। लालूराम के हड़मान व भगवता दो पुत्र है। वादी चुनाराम का गोद पुत्र है तथा परसाराम के वारिसान को अन्य भूमि पैत्रक सम्पति से मिल चुकी है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार हैः–

कि वाकै शरहद बरड़वा पुराने खरसा सं0 274 रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 274/1 रकबा 03 बिस्वा गैर मु0 बेरा जिनके वर्तमान खसरा सं0 416, 417, 418, 419 व 420 कुल रकबा 6.3600 हैक्टे0 भूमि में से 1/4 हिस्सा का वादी को प्रतिवादी सं0 1 हड़मानराम के साथ खातेदार घोषित किया जायें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढ़कर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी लालच व दबाव के सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान वकील श्री अजीत सिंह ने तथा प्रतिवादी की पहचान वकील श्री रामेश्वर भाकर ने की।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अव[illegible] गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवे[illegible] वाद [illegible] डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

## –:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद बरड़वा के पुराने खसरा सं0 274 रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 274/1 रकबा 03 बिस्वा गैर मु0 बेरा जिनके वर्तमान खसरा सं0 416, 417, 418, 419 व 420 कुल रकबा 6.3600 हैक्टे0 भूमि में से 1/4 हिस्सा राजीनामा अनुसार वादी को प्रतिवादी सं0 1 हड़मानराम के साथ खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **13.04.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 189/2020

दायर दिनाँक 06.08.2020

**वादी**

1. भगवताराम दत्तक पुत्र चुनाराम उम्र 70 वर्ष जाति मीणा निवासी बरड़वा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

**बनाम्**

**प्रतिवादीगण**

1. हड़मान पुत्र लालूराम
2. सुनम पत्नी किशोर कुमार
3. लच्छा दत्तक पुत्र सुरजा
4. पन्नाराम पुत्र गणेश
5. रिछपाल दत्तक पुत्र धन्ना
6. बजरंगलाल पुत्र गोपी
7. रामनिवास पुत्र गोपी
8. चन्दा देवी बेवा मामराज
9. मुकेश कुमार पुत्र मामराज
10. कमलेश कुमार पुत्र मामराज
11. सरीता पुत्री मामराज
12. मंगेजाराम पुत्र सांवताराम
13. बन्नाराम पुत्र सांवताराम
14. प्रभाती देवी पुत्री सांवताराम
15. आंचू देवी पत्नी सुल्तान
16. सुमन देवी पुत्री सुल्तान
17. कालूदेवी पुत्री सुल्तान
18. मनोज कुमार पुत्र सुल्तान
19. राकेश कुमार पुत्र सुल्तान
20. अनिल पुत्र सुल्तान
21. अजय पुत्र सुल्तान
22. गुलाब सिंह पुत्र ईश्वरसिंह
23. हुक्मसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
24. कुमेर सिंह पुत्र ईश्वरसिंह
25. शान्ति बेवा नेना
26. हरिलाल पुत्र भगवताराम
27. सरिता पत्नी भागीरथ
28. इन्द्र देवी पत्नी जगदीश समस्त जातिगण मीणा निवासी बरड़वा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
29. तहसीलदार डीडवाना।

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.**

दिनाँक 13.04.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीत सिंह राठौड़ वकील वादी व श्री रामेश्वर भाकर वकील प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद बरड़वा के पुराने खसरा सं0 274 रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 274/1 रकबा 03 बिस्वा गैर मु0 बे[illegible] 418, 419 व 420 कुल रकबा 6.3600 हैक्टे0 भूमि में से 1/4 हि[illegible] अनुसार वादी को प्रतिवादी सं0 1 हड़मानराम के साथ खातेदार घोषित [illegible] रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग..........–..........
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज [illegible] तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.[illegible]2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Scanned with Oken Scanner

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | — | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | — | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner